(Y3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
153/2018	22/10/2018	12/05/2025

1. कैशन्ता पत्नि श्रीनारायण
2. काली देवी पत्नी छोटूराम
3. कान्ति देवी पत्नी कैलाशचन्द

समस्त जाति मीना निवासी राकला की ढाणी, ग्राम हुरेला पोस्ट धर्मपुरा वाया बासखों तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर राजस्थान पिन नम्बर 303305

वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र नानगा
2. रामफूल पुत्र भौरीलाल
3. जगदीश पुत्र भौरीलाल
4. बाबूलाल पुत्र भौरीलाल
   समस्त जाति मीना निवासी राकला की ढाणी, ग्राम हुरेला पोस्ट धर्मपुरा, वाया बासखों तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान पिन नम्बर 303305
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
6. उप पंजीयक महोदय, जमवारामगढ तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर।

प्रतितवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :– वकील वादीगण।
श्री सत्यपाल गुर्जर :– वकील प्रतिवादी सं0 1, 2, 3

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री सत्यपाल गुर्जर ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 0.47है0, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.70है0 स्थित ग्राम हुरेला, पटवार हल्का धर्मपुरा, हाल तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 08.08.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम हुरेला, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
कल्याण पुत्र नानगा हि0 1/4, कैशन्ता देवी पत्नी श्रीनारायण हि0 7/37, कान्ति देवी पत्नी कैलाशचन्द हि0 23/148, काली देवी पत्नी छोटूराम हि0 23/148, जगदीश पुत्र भौरीलाल हि0 1/12, बाबूलाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/12, रामफूल पुत्र भौरीलाल हि0 1/12 समस्त जाति मीणा सा0देह खातेदार।	205	0.4700	चाही 1	—
योग	किता 1	0.4700	—	—
कल्याण पुत्र नानगा हि0 1/4, कान्ति देवी पत्नी कैलाशचन्द हि0 9/220, काली देवी पत्नी छोटूराम हि0 9/220, कौशल्या देवी पत्नी कल्याण सहाय हि0 23/110, जगदीश पुत्र भौरीलाल हि0 1/12, बाबूलाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/12, रामफूल पुत्र भौरीलाल हि0 193/660 समस्त जाति मीणा सा0देह खातेदार।	216	0.7000	बारानी 2	—
योग	किता 1	0.7000	—	—

—: प्रस्तावित :—

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
जगदीश पुत्र भौरीलाल हि0 1/3, बाबूलाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/3, रामफूल पुत्र भौरीलाल हि0 1/3 समस्त जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन मुता0बद0 जमाबन्दी	205/5	0.1075	चाही 1	—
योग	किता 1	0.1075	—	—
कल्याण पुत्र नानगा हि0 सम्पूर्ण जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन मुता0 बदू0 जमाबन्दी	205/6	0.1075	चाही 1	—
योग	किता 1	0.1075	—	—
कैशन्ता देवी पत्नी श्रीनारायण हि0 सम्पूर्ण जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन मुता0 बदू0 जमाबन्दी	205/4	0.0814	चाही 1	—
योग	किता 1	0.0814	—	—
कान्ति देवी पत्नि कैलाश चन्द हि0 सम्पूर्ण जाति	205/3	0.0668	चाही 1	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला—जयपुर

मीणा सा0देह खातेदार राहिन मुता0 बदु0 जमा0				
योग	किता 1	0.0668	—	—
काली देवी पत्नि छोटूराम हि0 सम्पूर्ण जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन मुता0बदु0जमा0	205/2	0.0668	चाही 1	—
योग	किता 1	0.0668	—	—
शामलाती खाता हिस्सा एवं राहिन मुता0 बद0खाता सं0 21	205/1	0.0400	चाही 1	—
योग	किता 1	0.0400	—	—
कान्ति देवी पत्नि कैलाशचन्द हि0 1/2, काली देवी पत्नि छोटूराम हि0 1/2, जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन मुता0बद0 जमा0	216/2	0.0572	बारानी 2	—
योग	किता 1	0.0572	—	—
कल्याण पुत्र नानगा हि0 1750/3214, कौशल्या देवी पत्नि कल्याण सहाय हि0 1464/3214 राहिन मुता0 बद0 जमा0	216/1	0.3214	बारानी 2	—
योग	किता 1	0.3214	—	—
जगदीश पुत्र भौरीलाल हि0 583/3214, बाबूलाल पुत्र भौरीलाल हि0 853/3214, रामफूल पुत्र भौरीलाल हि0 2048/3214 समस्त जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन मुता0 बद0जमा0	216/3	0.3214	बारानी 2	—
योग	किता 1	0.3214	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ